अध्याय 6: अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

6.1.1 कर प्रबंध

इस अध्याय में मनोरंजन शुल्क, विद्युत (बिजली पर कर एवं शुल्क), खदान एवं भू-विज्ञान तथा भू-राजस्व से प्राप्तियां शामिल हैं। इन करों का प्रबंध एवं उद्ग्रहण प्रत्येक प्रशासनिक विभाग के लिए अलग से निर्मित संबंधित अधिनियमों/नियमों द्वारा शासित किया जाता है।

6.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015-16 में खदान एवं भू-विज्ञान (12 इकाइयां), विद्युत विभाग (बिजली पर कर एवं शुल्क), भू-राजस्व (31 इकाइयां) तथा आबकारी एवं कराधान विभाग (मनोरंजन शुल्क) (6 इकाइयां) से संबंधित 182 इकाइयों में से 49 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच ने 116 मामलों में ₹ 0.43 करोड़ से आवेष्टित कर प्राप्तियों तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली प्रकट की, जो **तालिका 6.1** में यथा श्रेणीबद्ध हैं।

तालिका 6.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली	65	0.25
2	नकल एवं म्यूटेशन फीस जमा न करवाना	25	0.04
3	विविध अनियमितताएं (मनोरंजन शुल्क)	26	0.14
योग		**116**	**0.43**

वर्ष के दौरान, विभाग ने 64 मामलों में ₹ 19.52 लाख के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की, जिनमें 58 मामलों में आवेष्टित ₹ 19.49 लाख वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 22 मामलों में ₹ 3.12 लाख वसूल किए, जिनमें से 16 मामलों में आवेष्टित ₹ 3.09 लाख वर्ष 2015-16 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 11.72 लाख से आवेष्टित एक व्याख्यात्मक मामले पर निम्नलिखित अनुच्छेद में चर्चा की गई है।

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

लेखापरीक्षा उपलब्धियां

6.2 रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली

चार जिलों के संबंध में 31 ईट भट्ठा मालिकों से ₹ 11.72 लाख की रायल्टी तथा ब्याज की राशि की वसूली नहीं की गई थी जिन्हें अप्रैल 2013 तथा मार्च 2016 के मध्य परमिट जारी किए गए थे।

हरियाणा लघु खनिज रियायत, स्टॉकिंग, खनिज का ट्रांसपोर्टेशन तथा अवैध खनन की रोकथाम नियम, 2012 का नियम 30 प्रावधान करता है कि ईट भट्ठा मालिक (बी.के.ओज) प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अग्रिम में निर्धारित दर पर रायल्टी की वार्षिक राशि का भुगतान करेंगे। राज्य सरकार ने 20 जून 2012 से बी.के.ओज की विभिन्न श्रेणियों की नियत रायल्टी की दरें संशोधित की तथा बी.के.ओज प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल तक निर्धारित दर पर अग्रिम में रायल्टी की वार्षिक राशि का भुगतान करेंगे। यदि भुगतान सात दिनों के पश्चात किंतु देय तारीख के 30 दिनों तक, 30 दिनों के पश्चात किंतु देय तारीख के 60 दिनों के भीतर तथा देय तारीख के 60 दिनों के बाद किया जाता है तो चूक की अवधि हेतु क्रमश: 15, 18 तथा 21 प्रतिशत (चूक की संपूर्ण अवधि हेतु) प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभार्य है। रायल्टी के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिये प्रत्येक खनन कार्यालय में बी.के.ओज रजिस्टर का रख-रखाव किया जाता है। ऐसे बी.के.ओज, जो रायल्टी का भुगतान नहीं करते, के परमिट एक माह का नोटिस देकर विभाग द्वारा निरस्त किए जाने अपेक्षित हैं और परमिट धारकों से रायल्टी और उस पर ब्याज के कारण कोई राशि देय है, वह भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय है। सहायक खनन अभियंता (ए.एम.ईज)/खनन अधिकारी (एम.ओज) बकाया देयों की वसूली मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं।

एम.ओज के चार कार्यालयों[1] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च से सितंबर 2015) ने प्रकट किया कि 701 बी.के.ओज में से 31 बी.के.ओज ने अप्रैल 2013 तथा मार्च 2016 के मध्य रायल्टी की देय राशि का भुगतान नहीं किया। यद्यपि, मार्च 2016 तक 24 से 36 माह के मध्य श्रृंखलित अवधि समाप्त हो चुकी थी, फिर भी ₹ 7.81 लाख की रायल्टी का न तो बी.के.ओज द्वारा भुगतान किया गया था और न ही विभाग द्वारा इसे वसूल करने के लिए या परमिटों को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई की गई थी। विभाग की ओर से कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 7.81 लाख की रायल्टी की वसूली नहीं हुई। इसके अतिरिक्त ₹ 3.91 लाख का ब्याज भी नियमों के अनुसार उद्ग्राह्य था।

[1] हिसार, जींद, नारनौल तथा रोहतक।

यह इंगित किए जाने पर एम.ओज, हिसार तथा जींद ने बताया (नवंबर तथा दिसंबर 2015) कि बकाया राशि वसूल करने के लिए संबंधित बी.के.ओज को नोटिस जारी किए गए थे। वसूली पर आगे रिपोर्ट तथा एम.ओज, नारनौल तथा रोहतक से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अक्तूबर 2016)।

मामला जून 2016 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (अक्तूबर 2016)।

चण्डीगढ़ **(महुआ पाल)**
दिनांक: **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक: **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**